उत्तर प्रदेश शासन

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2

सं0-2779/62-2-2016-2/4(32)/2016

लखनऊ: दिनांक: 19 दिसम्बर,2016

विज्ञप्ति/पदोन्नति/तैनाती

उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा नियमित चयनोपरांत उनके प0 सं0-60/3/पी/एस-12/2016-17, दिनांक 06.9.2016 द्वारा प्राप्त संस्तुति के आधार पर लघु सिंचाई विभाग के निम्नलिखित अवर अभियंताओं को सहायक अभियंता, लघु सिंचाई (पे बैण्ड-3 सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान रू0-15600-39100, सादृश्य ग्रेड वेतन रू0-5400) के पद पर पदभार/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नति प्रदान करते हुए 02 वर्ष की परिवीक्षा पर रखे जाने तथा उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित जनपद में तैनात किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

क्र0सं0	अभियंता का नाम सर्वश्री	गृह जनपद	पदोन्नति के पश्चात तैनाती का जनपद
1	2	3	4
1-	नरेन्द्र बहादुर सिंह	वाराणसी	इटावा
2-	प्रमोद कुमार तिवारी	जौनपुर	बहराई

2- उक्त नवप्रोन्नति प्राप्त सहायक अभियंताओं की नियमानुसार पारस्परिक ज्येष्ठता बाद में निर्धारित की जायेगी।

राजीव रौतेला,
विशेष सचिव।

सं0-2779(1)/62-2-2016 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2- मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद लोक सेवा आयोग के प0 सं0-60/3/पी/एस-12/2016-17, दिनांक 06.9.2016 के संदर्भ में।
4- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 इलाहाबाद।
5- संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी/कोषाधिकारी।
6- संबंधित अधीक्षण अभियंता/अधिशासी अभियंता, लघु सिंचाई विभाग।
7- संबंधित सहायक अभियंता।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(संजय शुक्ला)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in